

### प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- शम्भू की चौकी से ददउ-पजिया-बनसार तुरउ तक विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक निर्माण हेतु 1.8536 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

#### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद- देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम शम्भू की चौकी से ददउ-पजिया-बनसार तुरउ तक विस्तार के निर्माण हेतु 1.8536 हे० वन भूमि का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० सहिया, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कालसी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह०/-

जिलाधिकारी

देहरादून

District Magistrate  
Dehra Dun.